सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 2024/213 दर्ज तिथिः–07.06.2024

1. जगदीश पुत्र मोहनलाल
2. भागीरथराम पुत्र मोहनलाल
   जाति विश्नोई निवासी खिचड़ों का वास, पटवार मण्डल बाण्ड तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर।

.....प्रार्थी

बनाम

1. वीरां पत्नी हीरा
2. ओमप्रकाश पुत्र हीराराम
3. किसनाराम पुत्र हीराराम
4. खंगाराराम पुत्र हीराराम
5. श्रीराम पुत्र हीराराम
   कौम विश्नोई निवासी खिचड़ों का वास पटवार मण्डल बाण्ड तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर
6. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार एवं उपपंजीयक नोखड़ा।

.....अप्रार्थी

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः– श्री चिमनसिंह चौधरी
अप्रार्थीः– श्री रामजीवन विश्नोई

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–212
राजस्थान काश्तकारी अधि0–1955

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः–03.04.2025

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र बाबत् इस्तकराहक्क अन्तर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रार्थना पत्र का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने निवेदन किया गया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित खातेदारी आराजी मौजा खिचड़ों का वास पटवार मण्डल बाण्ड तहसील नोखड़ा में अवस्थित हैं। उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित खातेदारी आराजी वादीगण के दादा हीरा के नाम वक्त बंदोबस्त से दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त आराजी के मूल खातेदार हीरा की मृत्यु के पश्चात पुत्र ओमप्रकाश, किशनाराम, खंगाराराम, मोहन, श्रीराम तथा वीरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.04.18 20:48:33 IST
Reason: SelfAttested

पत्नी हीरा के नाम विरासत दर्ज हुई। वादीगण मोहन पुत्र हीरा के वारिसान है। प्रतिवादी संख्या 01 वीरां बेवा हीरा वादीगण की दादी है। इस प्रकार हीरां से विरासत में प्राप्त दादी वीरां बेवा हीरा की पैतृक संपति में वादीगण का कानूनन अधिकार व हक निहित है। उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित खातेदारी आराजी पर विधि के सारभूत आधारों पर वादीगण की खातेदारी की घोषणा हेतु प्रार्थीगण द्वारा घोषणा का दावा प्रस्तुत किया गया है। इस दौरान अप्रार्थी प्रार्थी/वादी के उक्त कानूनी हकों के विपरीत जाकर उक्त सहदायिकी सम्पति को खुर्दबुर्द करने पर आमादा है। इससे प्रार्थीगण के हकों पर नकारात्मक असर होगा। इस प्रकार दौरान–ए–वाद उक्त आराजी पर रिकॉर्ड व मौका की यथास्थिति बनाए रखने का निवेदन किया।

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। बाद विधिवत तामिल अप्रार्थीगण जरीये असालतन–वकालतन हाजिर न्यायालय हुए। अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण/वादीगण द्वारा अपने वाद में पूर्व पुरूष हीराराम की खातेदारी आराजी में घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। खातेदार हीराराम की फौतगी के पश्चात् फौतगी नामांतरकरण से विवादित आराजी खातेदार हीराराम के विधिक वारिसान का हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा–8 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा–40 के तहत नामांतरकरण स्वीकृत किया गया। जिसमें खातेदार हीराराम की विरासत के अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 ता 05 को उक्त आराजी प्राप्त हुई। प्रतिवादी संख्या 01 खातेदार हीराराम की पत्नी है। इस आधार पर प्रतिवादी संख्या 01 अपने जीवनकाल में स्वतंत्र हिस्सा रखने की अधिकारीनी है तथा अपने पति की मृत्यु के पश्चात् उक्त आराजी का उपयोग करने हेतु स्वतंत्र है। प्रतिवादी संख्या 01 के जीवनकाल में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 02 ता 05 खातेदारी अधिकारों की घोषणा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होने के कारण प्रार्थीगण का उक्त आवेदन–पत्र काबिल–ए–खारिज है।

3. प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभपक्षकारान की उक्त प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने जिरह प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुये निवेदन किया कि उक्त आराजी के संबंध में प्रार्थी द्वारा खातेदारी अधिकारों की घोषणा का वाद प्रस्तुत किया गया है। परन्तु अप्रार्थी उक्त आराजी का बैचान करने पर आमादा है। इससे प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति कारित होगी। अतः उक्त आराजी पर अप्रार्थीगण को राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने दौराने जिरह जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुये निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 01 को अपने पति की फौतगी के पश्चात् विरासत में मिली आराजी को वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 02 ता 05 प्रतिवादी संख्या 01 के जीवनकाल में हिस्सा घोषित करवाने के अधिकारी नहीं होने के कारण उक्त प्रार्थना–पत्र काबिल–ए–खारिज है। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा आगे कथन किया गया कि प्रतिवादीगण द्वारा विवादित आराजी के खसरान में से रास्ते हेतु कुछ भूमि राज्य सरकार के पक्ष में समर्पित की गई है। वादीगण द्वारा उक्त समर्पितशुदा भूमि का नामांतरकरण पारित नहीं होने देने एवं प्रतिवादीगण को महज परेशान करने

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.04.18 20:48:33 IST
Reason: SelfAttested

की नियत से उक्त प्रार्थना–पत्र पेश किया होने से उक्त प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जाने का निवेदन किया गया।

4. प्रकरण में पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया है। प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–212 एवं सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–39 नियम–01 व नियम–02 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने हेतु प्रथमदृष्टया विवाद, सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में होना तथा प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति होने के साथ प्रार्थी का आचरण बेदाग होना आवश्यक है। उक्त संदर्भ में प्रकरण का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है।

5. प्रकरण में सर्वप्रथम प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में प्रथमदृष्टया विषयवस्तु/विवाद कारण को समझना आवश्यक है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा उक्त आराजी को विधि के सारभूत आधारों पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाही गई है। प्रार्थी के अनुसार प्रार्थी के दादी वीरां की दर्ज रिकॉर्ड खातेदारी आराजी में अधिकार निहित होने के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाही गई है। परंतु प्रार्थीगण यह स्पष्ट करने में असफल रहे है कि किस आधार पर या किस विधि/प्रावधान के अनुसार वादीगण अपनी दादी वीरां पत्नी हीराराम तथा अपने चाचाओं के नाम दर्ज रिकॉर्ड खातेदारी आराजी पर दादी के जीवित रहते खातेदारी अधिकार रखने का प्रकरण प्रस्तुत किया है। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् के अवलोकन से ज्ञात होता है कि विवादित आराजी पूर्व पुरूष हीराराम की खातेदारी आराजी थी। तत्पश्चात् हीराराम के फौत होने पर हीराराम की विरासत अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 ता 05 के नाम दर्ज हुई। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रतिवादी संख्या 01 वीरां पूर्व पुरूष हीराराम की पत्नी है। जिसको अपने पति के फौत होने पर विवादित आराजी में नियमानुसार हिस्सा मिला है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम–1956 के प्रावधान अनुसार किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात् उसकी जीवित पत्नी के नाम दर्ज हुई सम्पत्ति उसकी स्वअर्जित सम्पत्ति मानी जाती है। जिसके अनुसार प्रतिवादी संख्या 01 को अपने पति की फौत के पश्चात् पति की सम्पत्ति में नियमानुसार हिस्सा प्राप्त होने से उक्त सम्पत्ति प्रतिवादी संख्या 01 की स्वअर्जित सम्पत्ति है। जिसके आधार पर वादीगण प्रतिवादी संख्या 01 की स्वअर्जित सम्पत्ति में पैतृक हिस्सों की घोषणा करवाने का बिन्दु प्रथमदृष्टया साबित करने में असफल रहे हैं। इसके अतिरिक्त अन्य प्रकार से भी प्रार्थीगण प्रथमदृष्टया प्रकरण में विचारणीय विवाद का बिंदू स्पष्ट करने में असफल रहे है।

6. प्रकरण में अब प्रार्थीगण को होने वाली अपूर्णनीय क्षति को समझना आवश्यक है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण प्रथमदृष्टया प्रकरण में विचारणीय विवाद का बिंदू स्पष्ट करने में असफल रहे है। प्रकरण में वाद के विचारण के पश्चात् ही प्रार्थीगण के हक हिस्से के बारे में निर्णयन किया जा सकता है। दौरान–ए–वाद प्रथमदृष्टया प्रकरण में विचारणीय विवाद का बिंदू नहीं बनने की स्थिति में विवादग्रस्त आराजी में वादी के अधिकारों पर नकारात्मक व अपूर्णनीय क्षति होना स्पष्ट नहीं है। इस प्रकार प्रकरण में प्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति उत्पन्न होना प्रतीत नहीं होता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.04.18 20:48:33 IST
Reason: SelfAttested

7. प्रकरण में अब सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में झुकाव रखने के बारे में समझना आवश्यक है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण प्रथमदृष्टया प्रकरण में विचारणीय विवाद का बिंदू स्पष्ट करने में असफल रहे है। प्रकरण में वाद के विचारण के पश्चात् ही प्रार्थीगण के हक हिस्से के बारे में निर्णयन किया जा सकता है। दौरान–ए–वाद प्रथमदृष्टया प्रकरण में विचारणीय विवाद का बिंदू नहीं बनने की स्थिति में विवादग्रस्त आराजी में वादी के अधिकारों पर नकारात्मक व अपूर्णनीय क्षति होना स्पष्ट नहीं है। इस प्रकार प्रकरण में उक्त आराजी के अंतरण पर रोक लगाने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से प्रार्थीगण को सुविधा होना स्पष्ट है। परंतु प्रकरण में उक्त आराजी के अंतरण पर रोक लगाने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से अप्रार्थीगण को होने वाली असुविधा होना स्पष्ट है। क्योंकि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम–1956 के प्रावधान अनुसार किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात् उसकी जीवित पत्नी के नाम दर्ज हुई सम्पत्ति उसकी स्वअर्जित सम्पत्ति मानी जाती है। जिसके अनुसार प्रतिवादी संख्या 01 को अपने पति की फौत के पश्चात् पति की सम्पत्ति में नियमानुसार हिस्सा प्राप्त होने से उक्त सम्पत्ति प्रतिवादी संख्या 01 की स्वअर्जित सम्पत्ति है। प्रकरण में प्रथमदृष्टया प्रार्थी अपना प्रकरण व विचारणीय बिंदू स्पष्ट करने में असफल रहे है। साथ ही वर्तमान में अप्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में वर्णित खातेदारी आराजी के दर्ज रिकॉर्ड खातेदार है। किसी खातेदार को बिना प्रकरण व विचारणीय बिंदू के अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने से निश्चित रूप से अधिक असुविधा होना स्पष्ट है। इस प्रकार प्रकरण में उक्त आराजी के अंतरण पर रोक लगाने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से प्रार्थीगण को होने वाली सुविधा की तुलना में अप्रार्थीगण को होने वाली असुविधा अधिक प्रतीत होने से सुविधा का संतुलन अप्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है।

8. इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रार्थीगण का प्रकरण में मजबूत विवाद विषयवस्तु प्रकट नहीं होने, फलस्वरूप प्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति प्रतीत नहीं होने तथा प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से प्रार्थीगण को होने वाली सुविधा की तुलना में अप्रार्थीगण को होने वाली असुविधा अधिक प्रतीत होने से सुविधा का संतुलन अप्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होने के कारण प्रार्थी उक्त आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकार किया जाकर पूर्व में जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा निरस्त/वैकेट की जाती है।

आज 03.04.2025 को यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी–बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.04.18 20:48:33 IST
Reason: SelfAttested